शंकर दत्त भट्ट

चीड़ - पर्यावरण संरक्षण एवं युवा स्वरोजगार का माध्यम

पिरूल की पत्ती के प्रयोग से यदि विभिन्न कुटीर उद्योग, बाजारपरक वस्तुओं का उत्पादन करें तो एक ही कदम से पर्यावरण एवं स्वरोजगार की दो समस्याओं का समाधान सम्भव है, कहीं न कहीं इसी से जुड़ी तीसरी समस्या पलायन की भी है। इससे ग्रामों से पलायन रुकने के साथ–साथ पर्यावरण संरक्षण भी हो जायेगा। सरकार जंगलों की आग बुझाने के लिये जो करोड़ों रुपये खर्च करती है, इस धनराशि को आग बुझाने की जगह यदि बाजारपरक वस्तुएं तथा कोयला बनाने व खरीदने में खर्च किया जाय तो पलायन रुकने के साथ–साथ पर्यावरण संरक्षण व धनराशि का सही सही सदुपयोग भी हो जायेगा। जैव विविधता भी नष्ट नहीं होगी। पर्यावरण संन्तुलन भी बना रहेगा।

उत्तराखण्ड सहित अन्य हिमालयी राज्यों में बहुतायत से पाया जाने वाला वृक्ष चीड़ वर्तमान में गम्भीर पर्यावरणीय समस्या बन कर उभर रहा है। प्रतिवर्ष जंगलों में आग से वायु प्रदूषण के कारण पहाड़ों में जनमानस के लिये अत्यन्त घातक और जहरीला वायुमण्डल, जीवन का एक कटु सत्य बनता जा रहा है। वहीं दूसरी ओर जैव विविधता को नष्ट करने के लिये यही वनाग्नि जिम्मेदार है, और चीड़ की सूखी पत्तियों/पिरूल का इसमें योगदान किसी से छिपा नहीं है। चीड़ के वन स्वयं भी जैव विविधता की कमी के प्रतीक हैं और चौड़ी पत्ती के वनों के सापेक्ष चीड़ के वनों में वन्य व जीव जन्तु प्रजाति की विविधता नहीं के बराबर होती है। इमारती लकड़ी के तौर पर, भी चीड़ के पेड़ का बाजार मूल्य अत्यधिक नहीं है। वनाग्नि से निम्न आय वर्ग को तथा स्थानीय कृषि, व चरागाहों को अत्यन्त नुकसान होता है। ऐसे में यह एक गम्भीर समस्या बनती जा रही है।

पिरूल की पत्ती के प्रयोग से यदि विभिन्न कुटीर उद्योग, बाजारपरक वस्तुओं का उत्पादन करें तो एक ही कदम से पर्यावरण एवं स्वरोजगार की दो समस्याओं का समाधान सम्भव है, कहीं न कहीं इसी से जुड़ी तीसरी समस्या पलायन की भी है। इससे ग्रामों से पलायन रुकने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण भी हो जायेगा। सरकार जंगलों की आग बुझाने के लिये जो करोड़ों रुपये खर्च करती है, इस धनराशि को आग बुझाने की जगह यदि बाजारपरक वस्तुएं तथा कोयला बनाने व खरीदने में खर्च किया जाय तो पलायन रुकने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण व धनराशि का सही सही सदुपयोग भी हो जायेगा। जैव विविधता भी नष्ट नही होगी। पर्यावरण संन्तुलन भी बना रहेगा।

यदि प्रत्येक दूरस्थ ग्राम में कुटीर उद्योग के माध्यम से स्थानीय पिरूल के उत्पाद बनाये जायें और सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य तय कर, इन उत्पादों का शत प्रतिशत क्रय किया जाय तो ग्रामीण वित्तीय परिवेश में गुणात्मक सुधार होगा। इस उत्पाद को बनाने के लिये प्रशिक्षण एवं उद्योग स्थापना हेतु प्रारम्भिक आधारभूत संरचना जैसे स्थान, उपकरण आदि खरीदने के लिये सस्ती दरों में ऋण की व्यवस्था भी की जानी आवश्यक होगी।

जी.बी. पन्त राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण सतत् विकास संस्थान में ग्रामीण प्रशिक्षण परिसर में इसका प्रभावी प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। कोयला बनाने हेतु एक अत्यन्त सस्ता उपकरण भी बनाया गया है। इस उपकरण को निःशुल्क वितरित किया जा सकता है। इस संस्थान द्वारा दिये जा रहे प्रशिक्षण को प्रत्येक हाई स्कूल व इण्टर कालेज में विद्यार्थियो को रोजगार परक प्रशिक्षण के रूप में दिया जा सकता है। यह प्रशिक्षण केवल एक दिन का ही होता है। बच्चे इसे आसानी से सीखते हैं। राजकीय आदर्श इण्टर कालेज के राष्ट्रीय सेवा योजना के 45 स्वयंसेवकों को यह प्रशिक्षण दिया गया है। विद्यार्थियों ने इसे रूचिपूर्वक सीखा। यदि सरकार कोयला न्याय पंचायत स्तर पर क्रय केन्द्र बनाकर शत प्रतिशत क्रय की गारंण्टी दे तो यह कुटीर उद्योग का रूप ले सकता है।

पिरूल से कोयला बनाने का प्रशिक्षण लेते प्रशिक्षणार्थी।

कुटीर उद्योग के रूप मे उक्त उपकरण से पिरूल से कोयला बनाने की विधि संक्षिप्त में इस प्रकार है-

- सर्वप्रथम एक 01 मीटर लम्बा 0.50 मीटर चौड़ा व 0.50 मीटर गहरा गड्ढा बनाकर, इस गड्ढे में पिरूल भर दिया जाता है। तत्पश्चात् पिरूल में आग लगाकर, इसे एक टिन की चादर से ढककर चारों तरफ से किनारों को मिट्टी से ढक दिया जाता है, ताकि पिरूल आग की तरह नहीं जले वरन धीरे-धीरे सुलग कर कोयला बन जाय।
- लगभग 06 से 08 घण्टे में गड्ढे से टिन को हटाकर, पिरूल का कोयला बाहर निकाल लिया जाता है। इस कोयले को पत्थर या लकड़ी की सहायता से पाउडर बना दिया जाता है।
- अब इस कोयले के पाउडर का तीन भाग लेकर, एक भाग मिट्टी मिलाकर गूथा जाता है।
- इसके पश्चात् इस गूथे हुए कोयले को सांचे में डाला जाता है।
- सांचे से निकालने के बाद इसे सूखने के लिये रख दिया जाता है।
- इसे परम्परागत अंगीठी में ही जलाने के लिये प्रयोग किया जाता है।
- इस प्रकार बनाये गये कोयले/बायोब्रिकेट की उत्पादन लागत अत्यन्त कम आती है।

उक्त विधि से कोयला बनाने की विधि को प्रचार प्रसार की अत्यन्त आवश्यकता है। बाजारीकरण के इस युग में सामाजिक मीडिया, इण्टरनेट, टी.वी. अखबार इत्यादि विभिन्न संचार माध्यमों के द्वारा इस योजना व इसके उत्पादों का व्यापक प्रचार-प्रसार भी सरकार के योगदान से ही सम्भव है। इन उत्पादों की श्रृंखला में हस्तशिल्प, फाइल कवर व कोयला जैसी कुछ वस्तुएं काफी कम कीमत में क्षेत्रीय स्तर पर बनायी जा सकती हैं। यही नहीं देश के विभिन्न प्रान्तों में फाइबर आधारित टैक्सटाइल बनाकर, आकर्षक विज्ञापन एवं मेले इत्यादि आयोजित कर, राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बनायी जा सकती है। जिस प्रकार बांस केला जूट इत्यादि पर आधारित टैक्सटाइल, बैग, शॉल, मैट, साड़ी दुपट्टे शोपीस इत्यादि बनाये जाते हैं, उसी प्रकार चीड़ के पिरूल का उपयोग विभिन्न उत्पादों में किया जा सकेगा। पहाड़ के दूरस्थ गांव मे जहां आज भी लकड़ी जलाकर चूल्हा प्रयोग किया जाता है, और फेफड़े एवं पर्यावरण दोनों को क्षति पहुंचती है, वहां पिरूल आधारित कोयला एक वरदान के समान है। इससे न केवल सस्ती दरों पर विश्वसनीय फ्यूल उपलब्ध होगा बल्कि लकड़ी काटने से वनों को होने वाला नुकसान भी बचाया जा सकेगा। पिरूल के इस व्यापक प्रयोग की पूर्ति ग्रामीणों के द्वारा वनों से एकत्र पिरूल से की जायेगी, जिसकी व्यापक उपलब्धता व ज्वलनशीलता, प्रतिवर्ष वनों का काल बनती है। इस एक कदम को यदि योजनाबद्ध तरीके से क्रियान्वित किया जायेगा एवं आकर्षक वित्तीय अनुदान देकर लघु व कुटीर उद्योग इकाइयां स्थापित की जांय तो पहाड़ से युवाओं का पलायन भी रोका जायेगा। इसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य का समावेश आवश्यक है, ताकि न केवल ग्रामीणों की आय का यह एक माध्यम बन सके अपितु एक सतत् तरीके से पिरूल का हटाया जाना सुनिश्चित हो सके। यदि कुटीर उद्योग शुरूआती दौर में आर्थिक रूप से लाभदायक न भी हो पाये तो, वनाग्नि बुझाने में व्यर्थ होने वाला करोड़ों अरबों का बजट सकारात्मक रूप से प्रत्येक गृहस्वामी में वितरित होगा जिससे आय की असमानताएं कम होंगी एवं ग्रामवासियों की आय का एक माध्यम उत्पन्न होगा। इसके क्रियान्वयन में कई तरीके हो सकते हैं।

1. विकेन्द्रीकृत संकलन केन्द्र से केन्द्रीकृत भण्डारण केन्द्र एवं प्रोसेसिंग।
2. विकेन्द्रीकृत संकलन केन्द्र व प्रोसेसिंग से केन्द्रीकृत भण्डारण एवं विपणन।
3. केन्द्रीकृत संकलन केन्द्र से केन्द्रीकृत विपणन की व्यवस्था।

आर्थिक स्थिति व बजट आवंटन के हिसाब से अन्य भी अनेक मॉडल विकसित कर, इस योजना को लागू किया जा सकता है तथा आनलाइन विपणन के युग में फ्लिपकार्ड, अमेजन जैसी बैबसाइट से उत्तराखण्ड सरकार अनुबन्ध भी कर सकती है।

पलायन बेरोजगारी पर्यावरण संरक्षण वैकल्पिक फ्यूल, जैसी कई ज्वलन्त समस्याओं का निवारण करने वाली इस योजना की प्रक्रिया एवं क्रियान्वयन अत्यन्त पारदर्शिता द्वारा होना आवश्यक है। ऋण सब्सिडी न्यूनतम समर्थन मूल्य क्रय मूल्य आदि का भुगतान आधार से जोड़े गये खाते के माध्यम से किया जाना ग्रामीण व लोकल लोगों को अधिक से अधिक जोड़ना, बाहरी एन.जी.ओ. जिसका इस क्षेत्र मे पूर्व अनुभव नही हो उसे यथासम्भव सम्मिलित नही करना, ऐसे ही कुछ कदम होंगे।

इस योजना के क्रियान्वयन में जी.बी. पन्त राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण सतत् विकास संस्थान के ग्रामीण प्रशिक्षण परिसर को प्रशिक्षण का दायित्व दिया जा सकता है। इस प्रशिक्षण केन्द्र में न्यायपंचायतवार, बेरोजगारों को मास्टर ट्रेनर तैयार कर, उन्हें हर जिले की न्याय पंचायत में प्रशिक्षण का दायित्व दिया जा सकता है। इन स्थानीय बेरोजगारों को प्रशिक्षण देने का ग्रामवार मानदेय पूर्व में ही निर्धारित कर दिया जाय, तो बेरोजगार प्रशिक्षण देने के साथ-साथ उत्पादन कार्य भी करेंगे। धीरे-धीरे व्यापक प्रचार-प्रसार से प्रगति के साथ-साथ पलायन में रोक लगती जायेगी। एक बार सफलता मिलने पर "चलो ग्राम की ओर और स्वरोजगार अपनाओं" योजना चलाकर जो लोग ग्रामों से पलायन कर चुके हैं उन्हें भी वापस ग्राम आने की प्रेरणा मिलेगी।

सरकार को इस योजना में सभी ग्रामवासियों को प्रेरित करना/विश्वास दिलाना होगा कि उनसे न्यूनतम राशि जैसे रु0 10,000.00 प्रतिमाह पिरूल का कोयला सरकार अवश्य खरीदेगी।

पिथौरागढ़ जिले के बेरीनाग नामक स्थान पर अवनी बायो एनर्जी नामक संस्था के श्री रजनीश जैन द्वारा एक 120 किलोवाट का मिनी प्लांट स्थापित किया गया है। इसमें 2012 से बिजली का उत्पादन हो रहा है। इस संस्था द्वारा ग्रामीणों से रु. 1000.00 प्रति टन की दर से पिरूल खरीदा जा रहा है। सरकार भी पिरूल संकलनकर्ताओं को प्रोत्साहन राशि या अन्य सुविधा देकर अधिकाधिक पिरूल संकलन करने में सहयोग कर सकती है। इसी प्रकार के पावर प्लांट अधिक से अधिक स्थापित होने चाहिये। उरेडा के अनुसार उत्तराखण्ड में 3,43,000 हैक्टेअर भूमि पर चीड़ के वन हैं, जिसमें 20.58 लाख टन पिरूल उत्पादन होता है। इतनी बड़ी मात्रा में चीड़ से यदि सरकार अनुदान, टैक्स में छूट, व ब्याज मुक्त ऋण देकर निजी कम्पनियों को प्रोत्साहित करे तो हर ब्लाक स्तर पर पावर प्लांट स्थापित कर रोजगार संवर्धन व पर्यावरण संरक्षण कर सकती है।

इस प्रकार किसानों को उनकी लागत में 20 से 25 प्रतिशत अधिक पर यदि सरकार कोयला खरीदेगी तो वे स्वयं प्रोत्साहित होंगे। वर्तमान में ग्रामीण/किसान विपणन की समस्या के कारण ही पिरूल से कोयले का उत्पादन नहीं कर रहे हैं। यदि बेरोजगारों को प्रोत्साहन दिये जाने के लिये 20 से 30 वर्ष की उम्र के ग्रामीणों को अतिरिक्त लाभांश/बोनस भी दिया जाय तो यह बेरोजगारों के लिये एक अभिप्रेरण का कार्य करेगा। समस्त भुगतान बेरोजगारों को उनके आधार कार्ड व बैक खाता संख्या के अनुसार आनलाईन करने की व्यवस्था करनी होगी।

सरकार का उद्देश्य किसानों के रोजगार को बढ़ाना व लाभ को बढ़ाना होना चाहिये। सरकार हानि पर भी यह कार्य कर सकती है, क्योंकि इससे अप्रत्यक्ष लाभ कई गुना अधिक होंगे। जैसे-

ऐसा करने से शहरों में दबाव कम होगा तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था, रोजगार बढ़ने से मजबूत होगी। ग्रामीणों की आय बढ़ने से मांग में वृद्धि होगी तथा मांग में वृद्धि से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इस प्रकार सरकार को अप्रत्यक्ष रूप से अधिक लाभ होगा।

शहरों में पलायन से हो रहे दबाव के कम होने से शहरों में सफाई, बिजली, पानी व अन्य जन सुविधाओं में खर्च में अप्रत्यक्ष रूप से बचत होगी।

ग्रामीणों से पिरूल का कोयला यदि सरकार लागत मूल्य से अधिक पर भी खरीदती है तो इससे सरकार को अप्रत्यक्ष यह भी लाभ होगा कि बिजली व गैस की मांग शीतकाल में कम हो जायेगी। जनता दैनिक जीवन में बिजली का प्रयोग कम करेगी।

ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में मध्यम वर्ग अपना भोजन गैस की जगह कोयले से बनाना पसन्द करेंगे। इस प्रकार दीर्घ अवधि में पूरे हिमालयी क्षेत्र में लाखों लोगों द्वारा गैस की मांग कम करने से विदेशी मुद्रा की बचत के साथ-साथ गैस का आयात भी कम करना पड़ेगा।

सरकार यदि यह प्रचार करे कि इस कोयले की राख को खेती, सब्जी व औषधि पादप उत्पादन में जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाय तो उत्पादन बढ़ेगा। कोयले की राख की मांग बढ़ने से भी जैविक कोयले का उत्पादन बढ़ेगा।

वर्तमान में प्रतिवर्ष वन विभाग द्वारा लाखों वृक्षों का रोपण किया जाता हैं जंगलों में आग फैलने से नवीन वृक्षारोपण भी आग की भेंट चढ़ जाता है। इससे जहां वृक्षारोपण असफल रहता है वहीं नये पेड़ नहीं लग पाने के कारण जंगलों का घनत्व भी कम हो रहा है, जो गम्भीर समस्या है। जंगल बढ़ेंगे तो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार भी बढ़ेंगे।

ग्रीष्म काल में जंगलों में आग नहीं लगने व वृक्षारोपण बढ़ने का एक अप्रत्यक्ष लाभ यह भी होगा कि भूमिगत जल में वृद्धि होगी। जल स्रोत अधिक रिचार्ज होने के साथ साथ ग्रीष्म काल में जल के डिस्चार्ज में भी वृद्धि होगी।

ग्रीष्मकाल में मैदानी क्षेत्र से लाखों पर्यटक पर्वतीय क्षेत्रों में आना चाहते हैं। जंगलों की आग धुआं, प्रदूषण व धुन्ध के कारण पर्यटक पहाड़ों का रूख नही करते हैं। इस कारण भी रोजगार में कमी आती है। पर्यटन बढ़ने से रोजगार के अवसर स्वतः बढ़ने लगेंगे।

सरकार यदि पिरूल से या पिरूल के कोयले से बिजली बनाने की योजना को भी प्रभावी रूप से क्रियान्वित करे तो यह भी पिरूल से वनाग्नि को रोकने व रोजगार संवर्धन के लिये मील का पत्थर साबित होगा।

पिथौरागढ़ जिले का बेरीनाग स्थित अवनी बायो एनर्जी प्लांट।

पिथौरागढ़ जिले के बेरीनाग नामक स्थान पर अवनी बायो एनर्जी नामक संस्था के श्री रजनीश जैन द्वारा एक 120 किलोवाट का मिनी प्लांट स्थापित किया गया है। इसमें 2012 से बिजली का उत्पादन हो रहा है। इस संस्था द्वारा ग्रामीणों से रु. 1000.00 प्रति टन की दर से पिरूल खरीदा जा रहा है। सरकार भी पिरूल संकलनकर्ताओं को प्रोत्साहन राशि या अन्य सुविधा देकर अधिकाधिक पिरूल संकलन करने में सहयोग कर सकती है। इसी प्रकार के पावर प्लांट अधिक से अधिक स्थापित होने चाहिये। उरेडा के अनुसार उत्तराखण्ड में 3,43,000 हैक्टेअर भूमि पर चीड़ के वन हैं, जिसमें 20.58 लाख टन पिरूल उत्पादन होता है। इतनी बड़ी मात्रा में चीड़ से यदि सरकार अनुदान, टैक्स में छूट, व ब्याज मुक्त ऋण देकर निजी कम्पनियों को प्रोत्साहित करे तो हर ब्लाक स्तर पर पावर प्लांट स्थापित कर रोजगार संवर्धन व पर्यावरण संरक्षण कर सकती है।

इस प्रकार पिरूल जो एक गम्भीर पर्यावरणीय समस्या है, वह रोजगार, पर्यावरण संरक्षण व सरकार व जनता की आय संवर्धन का माध्यम बन जायेगा। इसके लिये जरूरी है कि सरकार व्यापक प्रचार-प्रसार कर, एक प्रभावी व शत प्रतिशत कारगर योजना लागू करे तो उक्त लाभ आसानी से मिल जायेंगे। इसके लिये राजनीति से ऊपर उठकर, सभी को सकारात्मक सोच से कार्य करना होगा। इस प्रकार कुटीर उद्योगों में कोयला उत्पादन व मिनी प्लांट में विजली उत्पादन कर, रोजगार संवर्धन व पर्यावरण संरक्षण एक साथ किया जा सकता है।

संपर्क करेः
शंकर दत्त भट्ट
राजकीय आदर्श इण्टर कालेज
हवालबाग अल्मोड़ा
मो. 9410351423
ईमेलः sduttbhatt@gmail.com